

बाल संसद: प्रारम्भ एवं वस्तुस्थिति

हर्षवर्धन

पी-एच.डी. शिक्षाशास्त्र

शिक्षा विभाग, शिक्षा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा-442001

Corresponding author: harsh20692@gmail.com

Received: 12-01-2022

Revised: 24-03-2022

Accepted: 02-04-2022

सारांश

शिक्षा यह अपने आप एक व्यापक शब्द है इसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है, हाँ बदलते परिदृश को देखते हुए इसमें बदलाव की आवश्यकता है इसका सार यह नहीं है कि शिक्षा का एक स्तर निश्चित कर दिया जाए बल्कि यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत प्रतिभाओं का निर्माण करना है। विद्यार्थी को ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जहाँ वह स्वाभाविक रूप से सीख सके। बाल संसद एक ऐसा मंच है जहाँ विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से सीख सकते हैं यह विद्यार्थियों को यह अवसर प्रदान करता है कि वह शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष के साथ उसके व्यावहारिक पक्ष सरलता से समझ सकें। प्रस्तुत शोध लेख में निम्न प्रश्नों पर चर्चा की गई है बाल संसद क्या है? इसका आरम्भ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? इसकी आवश्यकता क्यों है? भारतीय सन्दर्भ बाल संसद का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या बाल संसद के प्रारम्भ एवं उसकी वर्तमान वस्तुस्थिति में अंतर है? आदि प्रश्नों का उत्तर इस शोध लेख में देने का प्रयास किया जाएगा।

मुख्य बिन्दु: बाल संसद, बाल संसद का आरंभ, प्रारम्भ एवं वर्तमान वस्तुस्थिति में तुलना

वर्तमान परिपेक्ष्य में समाज को ऐसी शिक्षा पद्धति की आवश्यकता है जिसके माध्यम से ऐसे विद्यार्थियों का सृजन किया जा सके जिसमें समायोजन करने की क्षमता हो। एक शिक्षित समाज की परिकल्पना हम तब ही कर सकते हैं जब हम वर्तमान पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो पाए। अतः किसी देश एवं समाज के भविष्य के सृजन में शिक्षक एक सशक्त माध्यम है। इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु को ज्ञान प्रदान करने के संदर्भ में सर्वोच्च एवं पूजनीय स्थान प्रदान किया गया है। प्राचीन समय में भारत में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल प्रणाली में सम्पन्न होती थी। इन गुरुकुल में शिक्षा से संबंधित गतिविधियाँ विद्यार्थी के पाठ्यक्रम में निहित रहती थी। लेकिन यह सत्य कहा गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है अर्थात् वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय तक शिक्षा व्यवस्था में निरंतर परिवर्तन देखने को मिला है। इन परिवर्तनों के कारण शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप में अनेक सुधार के साथ-साथ समस्याओं का भी जन्म हुआ है, प्रमुख रूप से प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में। यदि भारतीय सन्दर्भ में प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं पर चर्चा करे तो अन्य देशों की अपेक्षा भारत में इसकी समस्या अत्यधिक बृहत् स्तर पर देखी जा सकती है लेकिन बदलते हुए परिदृश्य में इन समस्याओं का समाधान शिक्षकों के द्वारा सभी के समक्ष नवाचारों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इन नवाचारों में से एक नवाचार बाल संसद है। अब हमारे समक्ष यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि बाल संसद क्या है? इसका आरम्भ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? इसकी आवश्यकता क्यों है? भारतीय सन्दर्भ में बाल संसद का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या बाल संसद के प्रारम्भ एवं उसकी वर्तमान वस्तुस्थिति में अंतर है? आदि प्रश्नों का उत्तर इस शोध लेख में देने का प्रयास किया जाएगा।

बाल संसद क्या है? एवं इसकी आवश्यकता क्यों है?

बाल संसद, संसद का ही एक छोटा रूप है जिसे प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा निर्मित किया जाता है। इसे एक ऐसा माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है जिससे

विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक गुणों के साथ-साथ प्रेम, त्याग, सहानुभूति, करुणा, दया एवं परोपकार आदि का विकास हो सके। यह एक ऐसा मंच है जिसमें विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहभाग करते हैं। इसके साथ ही स्थानीय एवं वैश्विक समस्याओं पर अपने विचार एवं उसका समाधान अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है (मसाला एवं अन्य, 2000)। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को संविधान की कार्यप्रणाली, अपने अधिकार, निर्णय लेने की क्षमता का विकास एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना है। बाल संसद के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा अपने विद्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम, पर्यावरण गतिविधियाँ एवं बहु-सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है (बाल संसद: एक परिचय, 2016)।

बाल संसद की आवश्यकता क्यों है? इस प्रश्न पर भी चिन्तन करने की आवश्यकता है। प्रत्येक विद्यार्थी के स्वयं के अनुभव होते हैं जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अनुभवों से भिन्न होते हैं। समाज में किसी भी समस्या पर विचार एवं निर्णय परिवार के बड़े एवं समाज के सम्मानित व्यक्तियों के द्वारा लिए जाते हैं। इनकी यह अवधारणा होती है कि इनके द्वारा लिया गया निर्णय सही है तथा इनका जो निर्णय है वही समूह के सभी सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसलिए उन सभी समस्याओं पर निर्णय लेते समय अपने से छोटे (उम्र) सदस्यों के विचारों को सुनना पसंद नहीं करते हैं यदि सुनते भी है तो उस पर विचार नहीं करते हैं। यह आवश्यक है कि हम किसी भी प्रकार का निर्णय लेते समय परिवार या समाज के प्रत्येक व्यक्ति के विचारों को भी सुने। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे बच्चों के मन में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होंगी तथा उन्हें अपने परिवार एवं समाज में अपने ही अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हुए नजर आएंगे परिणामस्वरूप वे किसी प्रकार का

How to cite this article: Harshvardhan (2022). Baal Sansad: Prarambh evam Vastusthiti. *Vedāṅgam-A Multidisciplinary Journal of Higher Education*, 01(01): 42-43.

Source of Support: None; **Conflict of Interest:** None



नकारात्मक कदम उठा सकते हैं। बाल संसद एक ऐसा ही मंच है जहाँ बच्चे अपने विचारों एवं अनुभवों को स्वतंत्र रूप से प्रेषित कर सकते हैं तथा दूसरे बच्चों के विचारों को सुनकर उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। इस मंच के माध्यम से सभी बच्चों को अपने विचारों को प्रेषित करने का समान अवसर दिया जाता है (हैरिस, 2011)।

बाल संसद का आरंभ कहाँ से हुआ?

बाल संसद का आरंभ सर्वप्रथम जिम्बाब्वे में 1990 में हुआ। इसके गठन का मुख्य कारण समाज में उभर रही समस्याओं (जैसे- बालश्रम, यौनशोषण, विद्यालय समस्या, समानता, अधिकारों के प्रति जागरूकता आदि) को जानकर उसका समाधान करना था। इसके लिए संसद के कुछ सदस्य की एक समिति का निर्माण किया गया। इन सदस्यों का कार्य प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में जाकर ऐसे विद्यार्थियों का चयन करना था जिनमें संप्रेषण कौशल, अभिव्यक्ति की क्षमता, वातावरण के साथ सामंजस्य एवं लेखन कौशल आदि क्षमताएँ हो। इन क्षमताओं के अनुसार विद्यार्थियों का चयन करने के उपरांत इन्हें एक विषय (बालश्रम, यौनशोषण, विद्यालय समस्या, समानता, अधिकारों के प्रति जागरूकता आदि से संबन्धित) प्रदान किया जाता था। अब सभी विद्यार्थी अपने-अपने विषय को लेकर अपने क्षेत्र में भ्रमण करते थे एवं इन समस्याओं से संबन्धित प्राप्त आंकड़ों को एकत्र कर बाल संसद में एकत्र होते थे जहाँ पर संसद के सदस्यों के सामने इन सभी विषयों पर चर्चा थी। संसद के सदस्यों का कार्य इन सभी जानकारी को एक क्रमबद्ध रूप में लिखकर मुख्य संसद के सदस्यों तक पहुँचना था जिससे संसद में इन समस्याओं के समाधान के लिए नीतियों का निर्माण किया जा सके (मसाला एवं अन्य, 2000)।

भारतीय सन्दर्भ में बाल संसद का वास्तविक स्वरूप क्या है?

भारतीय परिदृश में बाल संसद, संसद का ही प्रतिबिम्ब है जिस तरह संसद के सदस्य होते हैं उसी प्रकार बाल संसद के भी सदस्य होते हैं। जिसमें कुछ विशिष्ट पदाधिकारियों के पद होते हैं। जैसे- प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, पर्यावरण मंत्रालय, स्वच्छता, कौशल विकास, सूचना एवं संपर्क, खेलकूद एवं संस्कृति मंत्रालय आदि होते हैं। इन सभी पदों के लिए नामांकन एवं चयन की प्रक्रिया विद्यार्थियों द्वारा पूर्ण की जाती है (यह पूरी प्रक्रिया शिक्षकों की देख रेख में पूरी की जाती है)। इन सभी पदों के लिए योग्य एवं इच्छुक विद्यार्थी स्वयं अपना नाम शिक्षकों को देते हैं। इस चयन की प्रक्रिया में यह ध्यान रखा जाता है कि बाल संसद के उच्च पदों जैसे- प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री परिषद के सदस्यों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर के ही विद्यार्थी का चयन हो। चुनाव की प्रक्रिया का सम्पूर्ण कार्य विद्यार्थियों के द्वारा ही सम्पन्न किया जाता है तथा शिक्षक इन चुनावी प्रक्रिया का बाह्य रूप से अवलोकन करते हैं। चुनाव में विजयी प्रतिभागियों को शपथ ग्रहण भी कराई जाती है (बाल संसद: एक परिचय, 2016)।

क्या बाल संसद के प्रारम्भ एवं उसकी वर्तमान वस्तुस्थिति में अंतर है?

जब सन् 1990 में जिम्बाब्वे में सर्वप्रथम बाल संसद का आयोजन किया गया था तब उसके आरम्भ करने का औचित्य था जिसका उद्देश्य समाज में उभर रही समस्याओं (जैसे- बालश्रम, यौनशोषण, विद्यालय समस्या, समानता, अधिकारों के प्रति जागरूकता आदि) को जानकर उसका समाधान करना था जो अत्यधिक व्यापक एवं समृद्ध दिखाई देता है। यह पर विद्यार्थियों को एक विषय दिया जाता था तथा विद्यार्थी अपनी पसन्द का विषय चयन करके अपने क्षेत्र में उससे संबन्धित सूचना एवं आंकड़ों का संग्रहण करके संसद के सदस्यों के सामने प्रस्तुत करते थे। संसद के सदस्य का कार्य इन सूचनाओं को क्रमबद्ध कर संसद में प्रस्तुत करना था ताकि संसद इन समस्याओं को समझ कर इनके समाधान के लिए नीतियों का निर्माण कर सके। इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा हमेशा वास्तविक परिस्थितियों का सामना किया जाता था जिससे वे जीवन की व्यावहारिक परिस्थितियों को समझने में सफल हो पाते थे (मसाला एवं अन्य, 2000)। वही जब धीरे-धीरे इसका विकास होता गया तब इसकी व्यापकता में कमी आने लगी जहाँ बांग्लादेश सरकार अब जिला बाल अधिकार निगरानी समितियों के सदस्यों के रूप में भाग लेने के लिए बाल संसद के सदस्यों का समर्थन

करती है (नूपुर, 2015) वहीं जाम्बिया के बाल संसद के सदस्यों को राष्ट्रीय बजट 2017 में बजट समिति में सहभाग होने का मौका दिया गया (कॉम्युनिकी फ्राम द 2017 चिल्ड्रेन्स पार्लियामेंट सीटिंग ऑन 2018 नेशनल बजट, 2018)। वही भारतीय परिदृश में बाल संसद को विद्यालय में क्रियात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में नेतृत्व कौशल, आत्म-अभिव्यक्ति, सम्प्रेषण कौशल का विकास एवं विद्यालय प्रबंधन में सहयोग प्रदान करना है (पट्टनायक, 2020; दीक्षित, 2018)।

निष्कर्ष

बाल संसद की इस सम्पूर्ण यात्रा में हम यह देखते हैं कि इसके व्यावहारिक पक्ष में देश काल निरंतर परिवर्तन होता रहा है जहाँ जिम्बाब्वे में इसे समाज में उभर रही समस्याओं (जैसे- बालश्रम, यौनशोषण, विद्यालय समस्या, समानता, अधिकारों के प्रति जागरूकता आदि) को जानकर उसका समाधान करना था जो अत्यधिक व्यापक एवं समृद्ध दिखाई देती है। वही बांग्लादेश एवं जाम्बिया में इसे विद्यार्थियों (बाल संसद के सदस्य) को सरकारी समिति एवं राष्ट्रीय बजट में सम्मिलित करने का माध्यम माना है। यदि भारतीय दृष्टिकोण को देखते हैं तो यह विद्यालय में क्रियात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में नेतृत्व कौशल, आत्म-अभिव्यक्ति, सम्प्रेषण कौशल का विकास एवं विद्यालय प्रबंधन में सहयोग प्रदान करना है। यदि बाल संसद के प्रारम्भ को दृष्टिगत रखे तो हम यह पाते हैं कि आरंभ में इसका उद्देश्य अत्यधिक विस्तृत होता था इस समय विद्यार्थियों को व्यावहारिक रूप से सामाजिक समस्याओं को जानने एवं उसका समाधान करने में अपने विचारों व्यक्त करने का मौका मिलता था लेकिन जैसे-जैसे इसका विकास होता गया वैसे-वैसे इसके व्यापक विचार धारा में कमी आने लगी। हाँ बांग्लादेश एवं जाम्बिया में विद्यार्थियों को संसद के कार्यों में सम्मिलित किया गया लेकिन भारत में इसे केवल विद्यालय प्रक्रिया तक सीमित रखा गया है फिर भी हम यह कह सकते हैं कि बाल संसद विद्यार्थियों को संसद कि कार्य प्रणाली को समझने, एक जागरूक नागरिक का निर्माण, नेतृत्व करने की क्षमता का विकास करने में निरंतर कार्यरत है तथा यह देश के विकास में निरंतर अपनी भूमिका का निर्वाह करता रहेगा।

संदर्भ

- यूनिसेफ. (2016). बाल संसद: एक परिचय
https://sujal-swachhsangraha.gov.in/sites/default/files/Unicef_Bal_sansad_book_0.pdf
 मसाला, जी. बी., मुगोची, वाई. पी., गम्बीजा, के., सौरोंबे, ओ., गंबरा, जे., वाम्बे, डी., गोरा, जे. एवं अंबरीक, एल. (2000). अवर राइट टू बी हर्ड: वॉइस ऑफ द चिल्ड्रेन्स पार्लियामेंटरीयन्स इन जिम्बाब्वे. ED450022, 1-29.
<https://eric.ed.gov/?q=%22Our+Right+to+be+Heard%22%3aVoices+from+Child+Parliamentarians+in+Zimbabwe&id=ED450022>
 दीक्षित, पी. (2018). बाल संसद के रास्ते. प्राथमिक शिक्षक, 4 (42), 36-41.
https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/prathmikshikshak/Prathmik_Shikshak_Oct18.pdf
 पट्टनायक, वी. (2020). विद्यालय को सफल बनाने में बच्चों की भूमिका. e-संवाद, 2(11), 5-8.
https://scert.bihar.gov.in/public/uploads/magazine/e-Samvaad_May_2020.pdf
 कॉम्युनिकी फ्राम द 2017 चिल्ड्रेन्स पार्लियामेंट सीटिंग ऑन 2018 नेशनल बजट
<http://www.csprzambia.org/wp-content/uploads/2017/10/Communique-on-the-2017-Childrens-Parliament.pdf>
 हैरिस, आर. (2011). चिल्ड्रेन्स पार्टीसिपेशन- इनगेजमेंट इन चिल्ड्रेन्स पार्लियामेंट. कैपसिटी बिल्डिंग फॉर सुस्टेनबल डेवलपमेंट.
 Children's participation – engagement in children's parliaments – Capacity Building for Sustainable Development (wordpress.com)